IFV: Ref. No.10117/ Policy

मई / May 21, 2021

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एसएफबी सहित) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां - निवेश और क्रेडिट कंपनियां (एनबीएफसी-आईसीसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)
The CMDs/ MDs/ CEOs of all Scheduled Commercial Banks (including SFBs), Non-Banking Finance Companies – Investment & Credit Companies (NBFC-ICCs) and Micro Finance Institutions (MFIs)

संस्थागत वित्त उद्भाग परिपत्र सं. 02 / 2021-22 / IFV Circular No. 02 / 2021-22

प्रिय महोदय / महोदया / Dear Sir / Madam,

मध्यवर्तियों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की तरलता संबंधी जरूरतों के समर्थन की योजना
Scheme to support liquidity needs of MSME sector through intermediaries

जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, सिडबी को 15000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता सुविधा (एसएलएफ़-1) प्रदान की थी ताकि यह एमएसएमई क्षेत्र को तरलता सहायता प्रदान कर सके और इस क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

As you are aware that the RBI, in the wake of COVIO-19 pandemic, had provided a Special Liquidity Facility of Rs 15000 crore to SIDBI (SLF-1) to enable it to provide liquidity support to MSME sector and meet sectoral credit needs.

अब, कोविड-19 महामारी के पुनर्सक्रिय होने / दूसरी लहर के चलते, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र की तरलता और ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़ की एक और विशेष तरलता सुविधा प्रदान (एसएलएफ़-2) की है।

Now, with the resurgence / 2nd wave of COVID-19 pandemic, the Reserve Bank of India has provided another Special Liquidity Facility of ₹15,000 crore to SIDBI (SLF-2) to address the liquidity and credit needs of the MSME sector.

एसएलएफ-2 के संचालन के लिए; बैंकों, एनबीएफसी और एमएफआई के माध्यम से एमएसएमई को सहायता के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जा रही हैं। योजनाओं में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए संगठन के आकार को विचार में न लेकर, निवेश ग्रेड रेटिंग वाली सभी पात्र संस्थाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। पात्रता मानदंड और योजनाओं के अन्य मानदंड निम्नानुसार हैं:

To operationalize the SLF-2, special schemes are being launched for support to MSMEs through Banks, NBFCs and MFIs. The schemes would cover all eligible entities having investment grade ratings irrespective of the size of the organization to ensure wider coverage. The eligibility norms and the other parameters of the schemes are given as under:

A) **एमएसएमई को एनबीएफ़सी माध्यम से विशेष तरलता समर्थन योजना (एसएलएस II-एनबीएफ़सी 2021)**
Scheme for Special Liquidity Support to MSMEs through NBFCs (SLS II-NBFC 2021)

उद्देश्य / Objective	एनबीएफसी के माध्यम से कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को तरलता सहायता प्रदान करना। यह योजना एनबीएफसी को परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने और एमएसई क्षेत्र को आगे उधार देने को बढ़ावा देने के लिए संसाधन समर्थन प्रदान करेगी। To provide liquidity support to Micro and Small Enterprises (MSEs) impacted due to Covid-19 pandemic, through NBFCs. The scheme would provide resource support to NBFCs to ensure operational continuity and promote onward lending to MSE sector.
एनबीएफ़सी का प्रकार और अर्हता / Type and Eligibility of NBFCs	• रिजर्व बैंक में पंजीकृत वे एनबीएफ़सी जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों: RBI registered NBFCs complying with the following parameters: ✓ रिजर्व बैंक में बतौर निवेश व ऋण कंपनी(आईसीसी) पंजीकृत हो। registered with RBI as Investment and Credit Company (ICC). ✓ बाह्य रेटिंग बीबीबी- व श्रेष्ठतर / external rating BBB- & Superior ✓ 3 पूर्ण लेखा वर्षों से ऋण देने के व्यवसाय में रत हों और 3 वर्षों के लेखापरीक्षित लेखे हों। / in lending business for 3 full accounting years and with 3-year audited accounts. ✓ न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि ₹50 करोड़ और न्यूनतम आस्ति आकार ₹200 करोड़ होना चाहिए। / Minimum Net Owned Funds of ₹50 crore and Minimum Asset Size of ₹200 crore. ✓ बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार स्पष्ट 'गो / नो गो क्राइटेरिया' होना चाहिए / Should clear 'Go / No Go Criteria' as per Bank's internal guideline.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक Small Industries Development Bank of India अ.वि.उ. IFV मुंबई / MUMBAI

अर्ह गतिविधि और हितग्राही / Eligible Activity / Beneficiaries	• गतिविधियाँ: सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 2(एच) में परिभाषित प्रामाणिक कारोबारी उद्देश्यों के लिए। • Activities: As defined in section 2(h) of SIDBI Act, 1989 for bonafide business purposes. • हितग्राही: एमएसएमई इकाइयाँ, जैसा कि भारत सरकार के 26 जून, 2020 की गज़ट अधिसूचना एस.ओ.2119(ई) में परिभाषा दी गई है। • Beneficiaries: MSEs as per the definition contained in GoI Gazette Notification S.O.2119(E) dated June 26, 2020.
अवधि / Tenure	• 12 माह तक या 10 जून, 2022, जो भी पहले हो। Up to 12 months or June 10, 2022, whichever is earlier
प्रतिभूति / Security	• बैंक के मौजूदा मानकों के अनुसार अपेक्षानुरूप प्रतिभूति। / Need based security as per Bank's extant norms.
प्रसंस्करण शुल्क / Processing Fee	मंजूर के गई राशि का 0.10%, बशर्ते जो रू5 लाख से अधिक न हो, तथा उस राशि पर देय जीएसटी (वस्तु व सेवा कर) । / 0.10% of sanctioned amount, subject to maximum of ₹5 lakh, plus applicable GST.
अन्य / Others	• दोपहिया वाहनों को ऋणों का वित्तपोषण करने वाली एनबीएफसी, एमएसई स्थिति विषयक प्रमाणन प्रस्तुत करने में असमर्थ और वे एनबीएफ़सी जिनका अधिसंख्य संविभाग स्वर्ण ऋणों वाला हैं, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। / NBFCs financing two-wheeler loans, unable to furnish certification of MSE status and NBFCs having majority portfolio of gold loans shall not be eligible under the scheme.

B) अल्प वित्त संस्थानों के माध्यम से अल्प वित्त ग्राहकों के लिए विशेष चलनिधि सहायता योजना (एसएलएस II-एमएफआई-2021)

Scheme for Special Liquidity Support to micro finance clients through Micro Finance Institutions (SLS II-MFI-2021)

उद्देश्य Objective	कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित एमएफआई को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह योजना एमएफआई की परिचालन निरंतरता को सुनिश्चित करने और अल्प वित्त ग्राहकों को आगे उधार देने को बढ़ावा देने के लिए संसाधन सहायता प्रदान करेगी। To provide funding support to MFIs impacted due to Covid-19

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक Small Industries Development Bank of India अ.वि.उ. IFV मुंबई / MUMBAI

	pandemic. The scheme would provide resource support to MFIs to ensure operational continuity and promote onward lending to micro finance clients.
एमएफआई के प्रकार और पात्रता Type and Eligibility of MFIs	• 3 वर्षों से परिचालन में हो In operations for 3 years; • सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी / धारा 8 कंपनी, एनबीएफसी-एमएफआई, सहकारी समिति और एमएसीएस के रूप में पंजीकृत; • Registered as Society, Trust, Company/ Section 8 Company, NBFC-MFIs, Co-operative Society and MACS; • बीबीबी-' की बाह्य रेटिंग या न्यूनतम एमएफआई ग्रेडिंग "एमएफआर5" या उससे बेहतर ग्रेडिंग हो; • Have external rating of 'BBB-'or superior and minimum MFI grading of "MfR5"; • पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के तहत निर्धारित से अधिक होनी चाहिए (अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र / भारतीय रिजर्व बैंक के साथ दायर अंतिम विवरणी के अनुसार; एनबीएफसी-एमएफआई के मामले में लागू)। • Capital Adequacy Ratio (CRAR) to be above that prescribed under RBI requirements (as per last audited balance sheet / last return filed with RBI; applicable in case of NBFC-MFI). • यथा 31 मार्च, 2021 को पार (PAR) > 90 दिन (AUM) <7% (9% तक शिथिलनीय) होना चाहिए।PAR > 90 days (AUM) should be <7% (relaxable up to 9%) as on March 31, 2021. • वित्त वर्ष 2021 के दौरान एमएफआई ने सिडबी के अलावा अन्य ऋणदाताओं से नया ऋण लिया हुआ हो । MFIs should have raised fresh borrowings from lenders other than SIDBI during FY 2021. • बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार स्पष्ट 'गो / नो गो क्राइटेरिया' होनी चाहिए। अन्य नीति/योजना दिशानिर्देशों को भी पूरा करना चाहिए। • Should clear 'Go / No Go Criteria' as per Bank's internal guideline. Should also meet other policy/ scheme guidelines.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक Small Industries Development Bank of India
अ.वि.उ.
IFV
मुंबई / MUMBAI

पात्र गतिविधि / हितग्राही Eligible Activity / Beneficiaries	एमएफआई द्वारा अल्प वित्त उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं। Facilities extended to microfinance borrowers / clients by the MFIs.
अवधि Tenure	• अल्पावधि: 1 वर्ष या 10 जून 2022 तक, जो भी पहले हो। • Short term: up to 1 year or June 10, 2022, whichever is earlier. • 1 वर्ष के अल्पावधि कार्यकाल के अलावा, प्रस्ताव की योग्यता के अनुरूप मामले के आधार पर 3 वर्ष तक के लंबे कार्यकाल पर भी विचार किया जा सकता है (जो कि सिडबी की स्वयं की पूंजी से प्रदान किया जाएगा)। In addition to short term tenure of 1 year, a longer tenure up to 3 years can also be considered on a case to case basis, depending on merits of the proposal (which will be provided by augmenting with own funds from SIDBI).
प्रतिभूति Security	ए / A) केवल चलनिधि वित्तपोषण के मामले में: In case of liquidity Funding only: • सिडबी के पक्ष में बिना भार वाले बही ऋणों/सहायता के न्यूनतम 1.1 गुना की प्राप्य राशि को दृष्टिबंधक के रूप में विशेष प्रथम प्रभार। • Exclusive first charge by way of hypothecation of unencumbered book debts / receivables of minimum 1.1 times of the assistance, in favour of SIDBI. • समतुल्य राशि का डिमांड प्रॉमिसरी नोट (डीपीएन)। • Demand Promissory Note (DPN) of equivalent amount. • उत्तर दिनांकित चेक Post Dated Cheques (PDCs) • प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी / कॉर्पोरेट गारंटीPersonal Guarantee of Promoters / Corporate Guarantee. • सिडबी के मौजूदा ग्राहक के मामले में, एफडीआर पर प्रभार का विस्तार लागू होगा। • In case of existing customer of SIDBI, the extension of charge on the FDRs shall be applicable.

	बी / B) आगे उधार देने के सन्दर्भ में वित्तपोषण In case of funding for On-ward lending • सिडबी से प्राप्त सहायता से सृजित बही ऋणों/प्राप्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से अनन्य प्रथम प्रभार। • Exclusive first charge by way of hypothecation of book debts / receivables created out of the assistance availed from SIDBI. • समतुल्य राशि का डिमांड प्रॉमिसरी नोट (डीपीएन)। • Demand Promissory Note (DPN) of equivalent amount. • उत्तर दिनांकित चेक / Post Dated Cheques (PDCs) • प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी / कॉर्पोरेट गारंटी Personal Guarantee of Promoters / Corporate Guarantee • सिडबी के मौजूदा ग्राहक के मामले में, एफडीआर पर प्रभार का विस्तार लागू होगा • In case of existing customer of SIDBI, the extension of charge on the FDRs shall be applicable
प्रसंस्करण शुल्क Processing Fee	स्वीकृत राशि का 0.10%, अधिकतम ₹10 लाख, साथ ही लागू जीएसटी।0.10% of sanctioned amount, subject to maximum of ₹10 lakh, plus applicable GST.

C) विशेष पुनर्वित्त योजना - 2021 (एसएलएस II-एसआरएस-2021)

Special Refinance Scheme – 2021 (SLS II-SRS-2021)

उद्देश्य Objective	पात्र प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं (पीएलआई) को उनके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के अंतिम-उधारकर्ताओं की तरलता आवश्यकताओं को समर्थन प्रदान करने के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना। To provide refinance assistance to eligible PLIs to support liquidity needs of their Micro and Small Enterprises (MSEs) end-borrowers.

पात्र प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं (पीएलआई) Eligible Primary Lending Institutions (PLIs)	अनुसूचित बैंक (सार्वजनिक, निजी, विदेशी और लघु वित्त बैंक) Scheduled Banks (Public, Private, Foreign and Small Finance Banks). <u>बैंकों के लिए (लघु वित्त बैंकों को छोड़कर): FOR BANKS (other than SFBs):</u> • 3 वर्ष की अवधि से परिचालन में हो । In operation for a period of 3 years. • पिछले 2 वर्ष से लाभ अर्जित किया हो। Earned profit during the last 2 years. • एमएसई का बड़े पैमाने पर बकाया संविभाग/ वित्तीय सहायता हो। Have sizable outstanding portfolio / financial assistance to MSEs. • निवल मालियत ₹50 करोड़ से कम न हो। Net-worth of not less than ₹50 crore. • जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी (सीआरएआर) 9% से कम न हो। Capital to risk weighted assets (CRAR) of not less than 9%; • निवल गैर निष्पादित आस्तियां 10% से अधिक न हो। Net NPAs not exceeding 10%. <u>लघु वित्त बैंकों के लिए FOR SFBs:</u> • भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा लघु वित्त बैंक व्यवसाय करने के लिए अंतिम लाइसेंस दिया गया हो और लघु वित्त बैंक का संचालन शुरू कर दिया हो। Should have been granted final license by Reserve Bank of India (RBI) for carrying on Small Finance Bank business and have commenced operations of the Small Finance Bank. • लघु वित्त बैंक में परिवर्तन से पहले लघु वित्त बैंक / पिछली इकाई (एक साथ लेते हुए) का पिछले 3 वर्षों में से कम से कम 2 वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया हो। The SFB / previous entity prior to conversion into SFB (taken together) should have earned profits during at least 2 years out of the last 3 years. • सूक्ष्म ऋण और/या एमएसई को दिए गए अग्रिमों सहित एक बड़ा

<table>
<tr><td></td><td>बकाया संविभाग होना चाहिए; तथा Should have sizeable outstanding portfolio comprising advances to micro credit and / or MSEs; and
• मंजूरी के लिए लागू बेंचमार्क मानदंडों का पालन निम्नानुसार किया जाना चाहिए: Should comply with the applicable Benchmarks norms for Sanction as under:
<table>
<tr><th>क्र.सं.
Sl. No.</th><th>मापदंड
Parameter</th><th>बीएफएस मानदंड BfS Norms</th></tr>
<tr><td>1</td><td>निवल मालियत Networth</td><td>> या = ₹100 करोड़
> or = ₹100 crore</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी CRAR</td><td>> या = 15%
> or = 15%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सकल गई निष्पादित आस्तियां Gross NPA</td><td>< या = 7%
< or = 7%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>पात्र एमएसई अंतिम उधारकर्ता/ गतिविधि Eligible MSE end-borrowers / Activity</td><td>अंतिम उधारकर्ता - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार एमएसई / दिनांक 26 जून, 2020 के भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2119 (ई) में निहित परिभाषा के अनुसार। End-borrowers - MSEs as per Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 / As per definition contained in GoI Gazette Notification S.O.2119(E) dated June 26, 2020

स्वास्थ्य देखभाल और 26 अन्य उच्च दबाव वाले क्षेत्रों (जैसा कि कामथ समिति द्वारा चिन्हित) में ईसीएलजीएस 2.0 के दायरे के तहत लागू होने वाले एसएमए -1 श्रेणी तक के एमएसई अंतिम-उधारकर्ता खाते पुनर्वित्त के तहत कवर किए जाने के लिए पात्र हैं। MSE end-borrower account up to SMA -1 category eligible to be covered under refinance as applicable under the scope of ECLGS 2.0 in the healthcare and 26 other high stress sectors (as identified by the Kamath Committee)</td></tr>
</table>

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक Small Industries Development Bank of India अ.वि.उ. IFV मुंबई / MUMBAI

	गतिविधियां - सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 2(एच) में यथा परिभाषित Activities - As defined in section 2(h) of SIDBI Act, 1989.
अवधि Tenure	• 12 माह तक अथवा 10 जून, 2022, जो भी पहले हो। Up to 12 months or June 10, 2022, whichever is earlier. • 36 माह तक (जो सिडबी के अपने निधि से प्रदान किया जाएगा) Up to 36 months (which will be provided by augmenting with own funds from SIDBI).
प्रतिभूति Security	चल और अचल आस्तियां, बही ऋण, प्राप्य, कार्रवाई योग्य दावों, गारंटी, असाइनमेंट, विनिमय बिल सहित सभी प्रतिभूतियों को बैंक सिडबी के ट्रस्टी के रूप में धारित रखेगा और इसके साथ-साथ सिडबी द्वारा बैंक को मंजूर किये गए ऋण से बैंक द्वारा उधारकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता की प्रतिभूति हेतु प्राप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथा प्राप्त होने वाली अन्य प्रतिभूतियों को भी बैंक धारण करेगा। The Bank shall hold in trust for SIDBI, all the securities including movable and immovable assets, book debts, receivables, actionable claims, guarantees, assignments, bills of exchange and proceed thereof as also other securities as may be directly or indirectly obtained or to be obtained by the bank from its borrowers to secure the financial assistance made available to the borrowers for which the loan has been sanctioned by SIDBI to the Bank.

हमें विश्वास है कि सभी पात्र बैंक, एनबीएफसी और एमएफआई उपरोक्त विशेष तरलता सुविधा का उपयोग करेंगे, जो एमएसएमई क्षेत्र को उनके सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए, महामारी की पुनरावृत्ति से मुक्त करने हेतु उधार देने के लिए दी जा रही है। We are sure that all the eligible banks, NBFCs and MFIs shall make use of the above special liquidity facility being offered, for on-lending to the MSME sector to alleviate the challenges faced by them, unleased by the recurrence of the pandemic.

भवदीय Yours faithfully,

[एस एन सिंह S N Singh]
मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager